Research Inspiration
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer - reviewed, Open Accessed & Indexed)
Web: www.researchinspiration.com; Email: publish1257@gmail.com
Vol.4, Issue-II, March 2019
ISSN: 2455-443X
Impact Factor: 6.331 (SJIF)
e-ISJN: A4372-3069

महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक समृद्धि में पेंशन योजना की भूमिका का अध्ययन (रायगढ़ जिले के खरसिया विकासखंड के विशेष संदर्भ में)

शोध निर्देशिका
डॉ. प्रतिमा बैस
सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र (विभागाध्यक्ष)
डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय,
करगी रोड कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

शोधार्थी
तुलसी साहू
एम.फिल. अर्थशास्त्र
डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय,
करगी रोड कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

सारांश :–

महिलाओं का सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है, इनके बिना परिवार या समाज की कल्पना नही की जा सकती। प्रस्तुत शोध पत्र "महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक समृद्धि में पेंशन योजना की भूमिका का अध्ययन" से संबंधित है। इन योजनाओं को सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं में आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास जागृत करना। कोई भी राष्ट्र तभी विकास कर सकता है, जब उसकी लगभग आधी आबादी जो कि महिलाओं की है, को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक व धार्मिक आदि समस्त क्षेत्रों में सशक्त किया जाए। प्राचीन काल से ही महिलाएं अत्यंत पिछड़ी अवस्था में रही है, अतः आर्थिक, सामाजिक जीवन में आत्मनिर्भर नही हो सकी है। पेंशन ऐसी महिलाओं के जीवन का महत्वपूर्ण अंग होता है। इससे इनकी आर्थिक स्थिति काफी हद तक सुधरी है तथा सामाजिक सम्मान भी बढ़ा है। इस विषय को चयन करने का कारण यह था कि महिलाओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाए तथा उनकी समस्याओं को उजागर किया जाए। इसके लिए विभिन्न परिकल्पनाओं का सहारा लिया गया। बहुस्तरीय निदर्शन पद्धति के माध्यम से प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों का संकलन किया गया, इससे महिलाओं की सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक स्थिति तथा व्यक्तिगत जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास से संबंधित जानकारियां मिली। इन आंकड़ों का अवलोकन करने से निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि पेंशन योजना का लाभ महिलाओं को मिला है। इससे उनकी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति सुधरी है। इस प्रकार इस शोध के द्वारा महिलाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली गई तथा अनुभव किया गया कि पेंशन योजना महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा है। सरकार की इन योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता भी महसूस की गई। सरकार के द्वारा सर्वेक्षण कराकर हर पात्र महिला को इसका लाभ दिया जाना चाहिए।

शब्द कुंजी: सामाजिक, आर्थिक समृद्धि, पेंशन योजना।

प्रस्तावना :–

स्त्री समाज की आधारशिला है। माता और पत्नी के रूप मे वह जिन कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वाह करती है, उन्ही कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों पर किसी समाज की उन्नति या अवनति आधारित होती है। स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से संपूर्ण समाज ज्यादा प्रभावित होता है। स्त्रियों की उन्नति एवं अवनति संपूर्ण समाज की उन्नति या अवनति कहलाता है। भारतीय इतिहास में विभिन्न कालों में महिलाओं के विकास उनकी उन्नति एवं अवनति, उनके संघर्ष उनको प्राप्त अधिकार और उन पर लगने वाले प्रतिबंधों की एक लम्बी कहानी है। वैदिक काल के साहित्यों के अध्ययन से पता चलता है कि परिवार में पुरूष की प्रधानता होते हुए भी वैदिककालीन भारतीय समाज में स्त्रियों को सामाजिक अधिकार प्राप्त था। स्त्री व पुरूष को समाज में बराबर का दर्जा प्राप्त था। प्रत्येक सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में स्त्रियों की उपस्थिति अनिवार्य थी। स्त्रियाँ सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में पुरूषों का हाथ बंटाती थी। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को समाज में जो उच्च स्थान प्राप्त था वह कम हो गया था। उनकी स्थिति में भेदपरक विकास आरंभ हुआ। उत्तरवैदिक काल में कर्मकांडों की जटिलता आ जाने के फलस्वरूप स्त्रियों की धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक स्थितियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगने लगे। संभवतः महिलाओं के "कानूनी" व्यावहारिक अधिकार सीमित थे। उन्हे चल और अचल संपत्ति की स्वामिनी होने का कोई भी अधिकार प्राप्त नही था। उनके द्वारा थोड़ा बहुत जो कुछ अर्जन होता था वह उनके पिता, पति या पुत्र को मिलता था। इन सबके बाद भी स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था तथा उनके ज्ञानार्जन में कोई रूकावट नही थी। परिवार में स्त्रियों का मुख्य कार्य घर प्रबंध तथा बच्चों का लालन–पालन करना था। विधवा स्त्री को समाज में आदर की दृष्टि से देखा जाता था। घर में रहकर विधवा स्त्री संयमित एवं अनुशासित जीवन व्यतीत करती थी। अपनी समस्त सम्पत्ति पर वह अधिकार रखती थी।

मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति और खराब हो गयी थी, उन पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाये गये तथा विधवा विवाह का कड़ा विरोध किया गया, शिक्षा के अधिकार पर भी भेदभाव किया जाने लगा। स्वतंत्रता के पूर्व तो महिलाओं की स्थिति इतनी खराब हो गयी थी कि उनको किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त नही थी। उनका प्रमुख कार्य केवल पति की सेवा मात्र रह गया था। यह कहा जाने लगा कि महिलाओं को बाल्यकाल में पिता, युवावस्था में पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। उन्हे सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता नहीं समझी गयी तथा उन्हें पूर्ण रूप से पुरूषों पर आश्रित कर दिया गया। इन सबका परिणाम यह हुआ कि भारतीय नारियां पिछड़ी तथा शोषित बनी रहीं। समाज में उनकी स्थिति शोषित तथा उपेक्षित थी जिससे बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज इत्यादि कुरीतियां प्रचलित थी।[1]

पिछले कुछ दशकों में सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए तथा सामाजिक, आर्थिक उन्नति के लिए कई योजनाओं की शुरूआत की है और उनको बेहतर रूप से अपना विकास करने में उनकी मदद भी की है। महिला और बाल विकास विभाग सभी सरकारी योजनाओं का सूत्रधार एवं नियंत्रणकर्ता है। छत्तीसगढ़ में विभिन्न योजनाओं के द्वारा महिलाओं को सहायता दी जाती है। जैसे–सामाजिक योजनाएँ स्वास्थ्य तथा पोषण, महिला

[1] गुप्ता, मोहिनीः भारत की नारी एक ऐतिहासिक सर्वेक्षण, नमन प्रकाशन।

सशक्तीकरण के लिए योजनाएँ, गर्भवती महिलाओं के लिये योजनाएँ आदि। यह सहायता निम्न रूपों में हो सकती है– सब्सिडी, शिक्षा, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, पोषण आहार, स्वरोजगार और बहुत कुछ।

भारत में महिलाओं के विकास के लिए शुरू की गई योजनाओं में प्रमुख हैं[2] –

(1) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

(2) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

(3) उज्जवला योजना

(4) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

(5) इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

(6) जननी सुरक्षा योजना

(7) राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना

(8) सुकन्या समृद्धि योजना

(9) सुखद सहारा योजना

(10) सरस्वती सायकल योजना

(11) वन स्टॉप सेंटर योजना

(12) नारी शक्ति पुरस्कार योजना

विधवा तथा वृद्धावस्था पेंशन योजना इस तथ्य को रेखांकित करती है कि नारी के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर नई सोच के साथ नये प्रयास, नई उर्जा और प्रतिबद्धता के साथ प्रयास किये जा रहे हैं। "इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 60–79 आयु वर्ग को 350रू. प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या उससे ऊपर आयु वर्ग को 650रू. प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान है। इसी तरह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग की विधवा महिलाओं को 350रू. प्रतिमाह पेंशन प्रदान किया जाता है। सुखद सहारा योजना में 18–40 वर्ष तक की विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह 350रु. की सहायता दी जाती है।"[3] सरकार द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं में शिक्षा व प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक व सामाजिक विकास कर उन्हे विकास की मुख्य धारा में जोड़ना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समस्त विकास कार्यक्रमों की जानकारी उन तक पहुंचाकर उन्हें अधिक से अधिक समृद्ध बनाया जाना चाहिए।

विषय शीर्षक चयन के कारण :–

इस शोध शीर्षक चयन का कारण यही है कि सरकारी योजनाओं में से पेंशन योजना का महिलाओं पर कितना प्रभाव पड़ा है, महिलाओं की स्थिति में इन योजनाओं के कारण कितना सुधार आया है। इन योजनाओं का

[2] "छत्तीसगढ़ की जनकल्याणकारी योजनाएं" पुस्तिका, जनसंपर्क विभाग रायपुर, छत्तीसगढ़ शासन

[3] समाज कल्याण विभागः https://sw.cg.gov.in/

कितना लाभ महिलाओं तक पहुंचा है यही पता लगाने के लिये यह शीर्षक का चयन किया गया है। इसके साथ ही लाभार्थी महिलाओं का जीवन इन योजनाओं के कारण कितना सुदृढ़ और समृद्ध हुआ है इसका पता लगाने के लिए यह शोध आवश्यक है। यह भी पता लगाना आवश्यक है कि इन योजनाओं का पूर्ण लाभ यदि महिलाओं तक नही पहुँचा है तो इसका कारण क्या है। इसके साथ ही अध्ययन क्षेत्र का चुनाव करते समय शोधकर्ता आर्थिक सुविधा, समय की उपलब्धता, स्थान की भौगोलिक स्थिति तथा शोध में प्रयुक्त सूचनाओं के मिलने की सुगमता को भी ध्यान में रखता है। इन सभी कारणों से मेरे द्वारा रायगढ़ जिले के खरसिया विकासखंड का चुनाव अध्ययन क्षेत्र के रूप में किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य तथा महत्व :–

प्रस्तावित शोध पत्र "महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक समृद्धि में पेंशन योजना का अध्ययन (रायगढ़ जिले के खरसिया विकासखंड के विशेष संदर्भ में)" है। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

(1) अनुसंधान क्षेत्र की महिलाओं के पारिवारिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।

(2) सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का महत्व स्पष्ट करना तथा इस संबंध में महिलाओं की समस्याओं को सामने लाना। साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए किये गये प्रयासों से महिलाओं तथा समाज को अवगत कराना।

(3) ज्ञात करना कि पेंशन योजनाओं द्वारा महिलाओं को जो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है उसका कितने प्रतिशत लाभ महिलाओं को मिला है।

परिकल्पनाएँ :–

अनुसंधान तथा किसी भी तथ्य के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए अवधारणाओं या परिकल्पनाओं का अस्तित्व आवश्यक है, इनके माध्यम से अध्ययनकर्ता को यह पता चलता है कि प्रस्तुत शोध किस दिशा में किया जाना है और परिकल्पना कहां तक उचित थी। परिकल्पनाओं के द्वारा अध्ययन की दिशा निर्धारित की जाती है तथा निष्कर्ष की प्राप्ति के लिये उचित प्रयत्न किये जाते हैं। इस शोध के लिए निम्न परिकल्पनाएँ प्रस्तुत की गई हैः–

(1) सरकार द्वारा संचालित पेंशन योजना का महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा होगा तथा इससे उनका सामाजिक एवं आर्थिक विकास हुआ होगा। सरकार द्वारा दी गई सहायता से महिलाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ी होगी तथा उनका जीवन पहले की तुलना में सरल तथा सुविधायुक्त हो सकता है।

(2) जिले के सभी क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन समान रूप से हुआ होगा, तथा इससे हितग्राही लाभान्वित हो सकते हैं।

(3) सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से अधिकांश महिलाएं अपरिचित होंगी तथा उनका लाभ आवश्यकतानुसार नही उठा पा रही होंगी।

शोध प्रविधि :–

प्रस्तुत शोध के लिए अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों के संकलन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया। प्राथमिक आंकड़ों का संकलन निदर्शन की साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया गया। इसमें महिलाओं की सामाजिक, पारिवाारिक तथा आर्थिक स्थिति ,व्यक्तिगत जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं

महिलाओं की व्यक्तिगत कुशलता से संबंधित जानकारियां मिलीं। साथ ही सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की कार्यान्वयन की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सका। व्यक्तिगत अवलोकन द्वारा महिलाओं की समस्याओं एवं सरकारी योजनाओं से उन्हे मिली सुविधाओं की जानकारी ली गयी।

प्रस्तावित शोध के लिए द्वितीयक आंकड़ों की प्राप्ति हेतु संबंधित शासकीय कार्यालयों, अशासकीय संस्थाओं के प्रकाशनों, विभागीय विवरणों, समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं, अन्य प्रकाशित[4] तथा अप्रकाशित उपलब्ध स्त्रोतों से समंक संकलित किये गये। साथ ही तथ्य संकलन के लिए इंटरनेट/वेबसाइट की भी सहायता ली गयी।

निष्कर्ष :–

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कानूनों ,विकास संबंधी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति को उद्देश्य बनाया गया है। इन नीतियों का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तिकरण करना है। इन नीतियों का व्यापक प्रसार किया जाना चाहिए ताकि इनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी प्रोत्साहित किया जा सके।

गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों में महिलाओं की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और वे ज्यादातर परिस्थितियों में अत्यधिक गरीबी में रहती हैं। उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक कड़वी सच्चाईयों को देखते हुए सरकारी योजनाएं एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ऐसी महिलाओं की आवश्यकताओं और समस्याओं का विशेष रूप से निराकरण करेंगे। विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन योजना गरीब तथा बेसहारा महिलाओं के लिये आर्थिक सहारा बनी है। पेंशन की छोटी सी रकम भी इनके जीवनयापन में बेहद महत्वपूर्ण होती है। ज्यादातर लाभार्थी अपने पेंशन का उपयोग अन्न खरीदने, दवाईयों और घरेलु खर्च पर करते हैं। इस प्रकार विधवा पेंशन एवं वृद्धावस्था पेंशन अशिक्षित, असहाय गरीब विधवा महिलाओं तथा वृद्ध महिलाओं के लिए अत्यधिक सहायक एवं उपयोगी रही है। सरकार की इन योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है। सरकार के द्वारा सर्वेक्षण कराकर हर पात्र महिला को इसका लाभ दिया जाना चाहिए।

संदर्भ सूची :–

- "छत्तीसगढ़ की जनकल्याणकारी योजनाएं" पुस्तिका, जनसंपर्क विभाग रायपुर, छत्तीसगढ़ शासन।
- छत्तीसगढ़ जनसंपर्क पुस्तिका, जनसंपर्क विभाग रायपुर।
- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं।
- चौधरी, नीरज, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, लुशेन्ट पब्लिकेशन।
- डां राजकुमार, नारी शोषण समस्याएं एवं समाधान (महिलाओं की समस्या एवं समाधान), अर्जुन पब्लिशिंग हाउस।
- गुप्ता, मोहिनी, भारत की नारी एक ऐतिहासिक सर्वेक्षण, नमन प्रकाशन।
- जैन, सुनिता (पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय) 2011 पीएचडी थीसिस।
- कमलेश, डॉ. सन्तराम वर्ष– 2002 :– छत्तीसगढ़ की भौगोलिक समीक्षा, वसुंधरा प्रकाशन गोरखपुर।
- कुमार, भास्कर :– प्राक्कथन भूमंडलीय और स्त्री, संजय प्रकाशन ।
- मंत्री, सोनाली (डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय, बिलासपुर) 2016 एम.फिल. थीसिस।
- मिश्रा, डॉ. राजेन्द्र कुमार वर्ष 2008 : जनजातीय विकास के नये आयाम, ए.पी.एच पब्लिसिंग नई दिल्ली ।
- निशा (पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर) 2016 पीएचडी थीसिस।
- रघुवंशी, मृदुला (वी. बी. एस. पूर्वांचल विश्वविद्यालय) 2002 पीएचडी थीसिस।
- रजिन्दर कौर (पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर) 2003 पीएचडी थीसिस।
- "राहें विकास की" छत्तीसगढ़ शासन संवाद द्वारा मुद्रित, जनसंपर्क विभाग रायपुर।
- शर्मा संगीता एवं शर्मा राजकुमार :– महिला विकास एवं राजकीय योजना,रितु पब्लिकेशन जयपुर।

[4] छत्तीसगढ़ जनसंपर्क पुस्तिका, जनसंपर्क विभाग रायपुर, "राहें विकास की" छत्तीसगढ़ शासन संवाद द्वारा मुद्रित, जनसंपर्क विभाग रायपुर

- शरण , डी के :– भारतीय इतिहास में नारी (भारतीय नारी संदर्भ एक दृष्टिकोण)।
- सिन्हा, डां. वी.सी. :– जनांकिकी के सिद्धान्त, मयूर पेपर बॉक्स।
- श्रीमती श्वेता श्रीवास (डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय, बिलासपुर) 2017 एम.फिल. थीसिस।
- तिवारी ओ पी एवं गुप्ता डी पी :– भारतीय नारी वर्तमान समस्याएं और समाधान (मध्यकालीन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय नारी), ए पी एच पब्लिशिंग कार्पोरेशन नई दिल्ली।
- "विकास का सफर" पुस्तिका, जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ पेज नं.– 33–36।
- वेबसाइट –www.nsap.nic.in
- वेबसाइट – sw.cg.gov.in